न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 143/21 **निर्णय दिनांकः–** 08-09-2022
(जीसीएमएस संख्या 2021/266)

1. अलीशेर पुत्र वसुखाँ जाति मुसलमान निवासी सत्तासर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 31–01–2017
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः–
1. श्री पुरूषोतम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 31–01–2017 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि का बतौर भूमिहीन आवंटन किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् को चक 5 एसटीएम के मुरब्बा नम्बर 45/55 में तादादी 22 बीघा भूमि भूमिहीन श्रेणी में टीसी से पुख्ता आवंटन हुई थी, जोकि

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कालान्तर में अन्य आवंटी नूरमोहम्मद पुत्र दिलावर खॉ को आवंटन होने के कारण राजस्व रिकार्ड में अन्य आवंटी के नाम दजर्ह होने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् का प्रकरण दोहरे आवंटन का मानते हुए व अपीलांट् द्वारा दिनांक 30–08–2016 को दोहरे आवंटन के तहत अपीलांट् को अन्य भूमिहीन श्रेणी की भूमि आवंटन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अन्य भूमि आवंटन का पात्र दिनांक 31–01–2017 को मानते हुए पुनः चक 610–200 आरडी के मुरब्बा नम्बर 50/38 के किला नम्बर 1 ता 24 तादादी 24 बीघा भूमि व मुरब्बा नम्बर 50/46 के किला नम्बर 1 ता 20 तादादी 20 बीघा इस प्रकार कुल 44 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 24–04–2017 को किया गया तथा आवंटन आदेश भी जारी कर दिया गया। अपीलांट् द्वारा उपरोक्त आवंटन आदेश की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किये जाने पर यह तथ्य सामने आया कि उपरोक्त भूमि भी विशेष आवंटन हेतु गजट में आरक्षित है तथा अन्य व्यक्ति छोटूखॉ पुत्र अलीखॉ को बतौर विशेष आवंटन में आवंटित है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का कब्जा भी अपीलांट् को प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार अदालत मातहत अपीलांट् के आराजी जैर आवंटन से पूर्व रिकार्ड की जॉच किये बिना विशेष आवंटन हेतु आरक्षित/अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन बतौर भूमिहीन श्रेणी में किया गया है। इसमें अपीलांट् का कोई दोष नहीं है। अपीलांट् का आवंटन आज दिनांक तक खारिज नहीं किया गया है तथा अपीलांट् की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। अपीलांट् अपने अधिकारों के प्रति लम्बे समय से लड़ाई लड़ रहा है तथा अदालत मातहत द्वारा बार–बार ऐसी भूमि का आवंटन किया जा रहा है, जो पूर्व में अन्य व्यक्ति को आवंटित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् समान श्रेणी की अन्य भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपीलांट् की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलांट् को भूमिहीन श्रेणी की अन्य भूमि आवंटित करने का आदेश प्रदान करावें। मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा कथन किया गया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे मामलों में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जाकर अपीलांट को उसी श्रेणी की अन्यत्र भूमि आवंटन किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–01–2017 के विरूद्व अपल दिनांक 02–12–2021 को पेश की गई है। जोकि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये है वे इतनी लम्बी अवधि को कण्डोन करने के पर्याप्त कारण नहीं है। अपीलांट् को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटित भूमि है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट् को प्राप्त नहीं हो सकती। अतः अपीलांट् अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. **(1)** हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा सर्वप्रथम अपीलांट को चक 5 एसटीएम के मुरब्बा नम्बर 45/55 में तादादी 22 बीघा भूमि भूमिहीन श्रेणी में टीसी से पुख्ता आवंटन हुई थी, जोकि कालान्तर में अन्य आवंटी नूरमोहम्मद पुत्र दिलावर खॉ को आवंटन होने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् को पुनः चक 610–200 आरडी के मुरब्बा नम्बर 50/38 के किला नम्बर 1 ता 24 तादादी 24 बीघा भूमि व मुरब्बा नम्बर 50/46 के किला नम्बर 1 ता 20 तादादी 20 बीघा इस प्रकार कुल 44 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया।

(2) प्रकरण में अपीलांट द्वारा आवंटन किये जाने के उपरान्त वादगत् भूमि हेतु निर्धारित राशि जमा करवाई जाने के उपरान्त आवंटन पट्टा अदालत मातहत द्वारा जारी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन की तमाम प्रकिया पूर्ण कर दी गई थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में तत्समय ही किया जाना चाहिए था। जैसा की प्रकरण में नहीं किया गया है। उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं होने के कारण भूमि रिकार्ड में आराजीराज दर्ज रहने के कारण वादगत् भूमि गजट में प्रकाशित होने के फलस्वरूप अदालत मातहत द्वारा उक्त भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किया गया है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(3) प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में चूंकि वादगत् आराजी गजट में प्रकाशित होने के कारण अन्य व्यक्ति को आवंटित हो चुकी है व पूर्व में उक्त भूमि बतौर भूमिहीन अपीलांट को आवंटित की जा चुकी है। प्रकरण में अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन के समय ही राजस्व रिकार्ड में इस आश्य का इन्द्राज किया जाना चाहिए था। प्रकरण में अदालत मातहत एवं राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

(4) इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा एक ही आराजी का दो बार आवंटन कर दिया गया है व वर्तमान में वादगत् भूमि गजट में प्रकाशित होने के कारण उक्त आराजी अब अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन खारिज नहीं किया गया है व अपीलांट की पात्रता भूमिहीन श्रेणी की आज दिनांक को भी कायम है। अतः अपीलांट उसी श्रेणी की अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

7. अतः बिन्दु सिंह 6 के मद संख्या 1 से 4 में वणिर्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–01–2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता अनुसार भूमिहीन श्रेणी की भूमि आवंटन हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 8/8/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

8/8/22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर